मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एल1-10/33/2014/ ब-7/डीएमसी/चार भोपाल, दिनांक 13/01/2014

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल
फेक्स- 0755-2676030.

विषय :- राज्य शासन के कोष से देयक / चेक्स के आहरण के संबंध में।
संदर्भ :- क्रमांक एल1-10/आर-341/चार/ब-7/डीएमसी/10/76 दिनांक 23.06.2010 तथा क्रमांक एल1-10/आर-341/चार/ब-7/डीएमसी/10/76 दिनांक 16.10.2013

..0..

संदर्भित आदेशों को निरस्त किया जाकर आगामी आदेश तक निम्नांकित प्रकृति के आहरणों हेतु वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है:-

2/- निम्नाकित श्रेणी के रू.50 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के आहरण के लिये वित्त विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी:-

i- केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित एवं बाह्रय पोषित योजनाओं के लिये बजट में प्रावधानित राशियों के देयक।

ii-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की बजट में प्रावधानित राशियों के देयक।

iii-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित देयक।

iv-बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड योजना अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के देयक।

v- भू- अर्जन से संबंधित राशि।

vi-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा CAMPA मद में हस्तान्तरित की जा रही राशि।

vii-केन्द्रीय मुद्रांक डिपों नासिक के देयक।

viii-विदेशी मदिरा के भुगतान से संबंधित देयक।

ix-बुन्देल खण्ड पैकेज से संबंधित ऐसी राशियों जिनकी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

3/- उपर्युक्त पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक 1,2,तथा 4 में वर्णित देयकों के लिये यह आवश्यक होगा कि कोषालय से आहरण किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित राशि केन्द्र से राज्य शासन के खाते में जमा हो गई है ।

4/- उपर्युक्त पैरा-2 के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के रू. 25.00 करोड़ से अधिक राशि के आहरण के लिये वित्त विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक रहेगी ।

5/- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

13/01/14
(श्रीमन शुक्ला)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एल1-10/34/2014/ ब-7/डीएमसी/चार भोपाल,दिनांक 13/01/2014
प्रतिलिपिः-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्य प्रदेश।
2. समस्त संभागायुक्त / जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं / बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग